संख्या-116/2022/2299/सैंतीस-2-2022/002-1(49)/07

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 दिसम्बर, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-296/पशुधन-2/22/1/4/डी.एफ.एस./एल.डी.बी./2022-23, दिनांक-07.11.2022 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-49/2022/747/सैंतीस-2-2022/001-1(49)/07, दिनांक-30.05.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थापित 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों यथा-रहमानखेड़ा (लखनऊ), मंझरा (खीरी) एवं बाबूगढ़ (हापुड़) के संचालनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-13-अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-1006.50 लाख (रूपये दस करोड़ छः लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
02-मजदूरी	51.34
08-कार्यालय व्यय	1.27
09-विद्युत देय	49.34
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.84
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.67
13-टेलीफोन पर व्यय	0.54
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	12.67
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	79.00
29-अनुरक्षण	26.67
39-औषधि तथा रसायन	100.00
42-अन्य व्यय	73.34
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	533.34
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.14
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	73.34
योग-	**1006.50**

(रूपये दस करोड़ छः लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
7. विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403001021300 (अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	02 मजदूरी	51,34,000 (रुपये इक्यावन लाख चौंतीस हजार मात्र)
2	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	08 कार्यालय व्यय	1,27,000 (रुपये एक लाख सत्ताईस हजार मात्र)
3	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	09 विद्युत देय	49,34,000 (रुपये उनचास लाख चौंतीस हजार मात्र)
4	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	84,000 (रुपये चौरासी हजार मात्र)
5	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,67,000 (रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
6	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	13 टेलीफोन पर व्यय	54,000 (रुपये चौवन हजार मात्र)
7	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12,67,000 (रुपये बारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
8	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	79,00,000 (रुपये उनासी लाख मात्र)
9	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	29 अनुरक्षण	26,67,000 (रुपये छब्बीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
10	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	39 औषधि तथा रसायन	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
11	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन	42 अन्य व्यय	73,34,000 (रुपये तिहत्तर लाख चौंतीस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		केन्द्र		हजार मात्र)
12	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,33,34,000 (रुपये पांच करोड़ तैंतीस लाख चौंतीस हजार मात्र)
13	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,14,000 (रुपये दो लाख चौदह हजार मात्र)
14	015	2403001021300 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	73,34,000 (रुपये तिहत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र)
	कुल			**10,06,50,000** **(रुपये दस करोड़ छह लाख पचास हजार मात्र)**
महायोग				10,06,50,000 (रुपये दस करोड़ छह लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-116/2022/2299(1)/सैंतीस-2-2022/002-1(49)/07 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।